(129)

संख्या– /XVIII(II)/2011–3(50)/2009

प्रेषक,

कुँवर राजकुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उधमसिंह नगर।

राजस्व अनुभाग–2 दिनांकः– 12 दिसम्बर, 2011

विषयः–कुष्ठ मानव सेवा समिति (पंजीकृत), खटीमा को ग्राम कुमराहा, तहसील खटीमा, जिला उधमसिंह नगर में कुष्ठ रोगियों के बच्चों के लिए विद्यालय, छात्रावास एवं सामुदायिक भवन आदि के निर्माण हेतु कुल 0.253 है0 भूमि पट्टे पर निशुल्क आवंटित किये जाने के लिए एकमुश्त नजराना की धनराशि माफ किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को संबोधित आपके पत्र सं0–1181/सात–स0भू0अ0/2009 दि0–19.5.2009 एवं पत्र सं0–2307/सात–स0भू0अ0/2011 दि0–15.9.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, कुष्ठ मानव सेवा समिति (पंजीकृत), खटीमा को ग्राम कुमराहा, तहसील खटीमा, जिला उधमसिंह नगर में कुष्ठ रोगियों के बच्चों के लिए विद्यालय, छात्रावास एवं सामुदायिक भवन आदि के निर्माण हेतु कुल 0.253 है0 भूमि, शासनादेश संख्या–258/16(1)/73–रा–1 दिनांक–09.05.1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या–1695/97–1–1(60)/93–रा–1 दिनांक–12.09.1997 में दिये गये प्राविधानों में शिथिलीकरण प्रदान करते हुए नजराना की धनराशि रू0 10,12,000 (दस लाख बारह हजार रूपये) को माफ करते हुए केवल नई दरों पर निकाली गयी मालगुजारी के 20 गुने के बराबर वार्षिक किराया नियत करके निम्नलिखित शर्तो के अधीन पट्टे पर आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1.– प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।

2– प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नही होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

3– प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–150/1/85 (24)–रा–6 दिनांक–09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार

.....2

को नवीनीकरण के समय लगान बढाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1–1/2 गुना से कम नही होगा।

4– प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नही रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

5– यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

6– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में गैर वानिकी कार्य हेतु भूमि के उपयोग का परिवर्तन तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

7– आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दुसंख्या–1 से **6** मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

कृपया तत्क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कुँवर राजकुमार)
सचिव।

पृ0प0सं0– २५१२ /संमदिनांकित/2011

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
5. सचिव, कुष्ठ मानव सेवा समिति (पंजीकृत) लोहियापुल, तहसील खटीमा, जिला उधमसिंह नगर।
6. निदेशक,एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय।
7. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।